	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 25, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 15, 2026 Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 06, 2026

संख्या प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/1975 पार्ट :-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न कृषि उपजो की अनुसूची मे ''मसाला'' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेखित कृषि उपज ''धनिया'' के क्रय-विक्रय पर मण्डी समितियो द्वारा उद्ग्रहणीय मण्डी शुल्क की दर प्रति एक सौ रूपये पर 1.60 रूपये के स्थान पर 0.50 रूपये मात्र विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।